Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी .....मुकाम .....बयाना.....

रामरती.....बनाम ..... केशरदेवी वगै.....

किस्म मुकदमा दावा 53, 188 आरटी एक्ट .....नं.....सन् 245/25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
23/9/25	दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादी को जरिये समन रजिस्टर्ड / साधारण से तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 07.11.2025 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)	
7/11/25	पीठासीन अधिकारी ...वीरेन्द्र कुमार है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10/11/25 को पेश है। रीडर ओ/एस.डी.एम. प्रकरण में वकील ने वकालत नामा पेश किया।	Not Press
10/11/25	प्रकरण आज पेश हुआ। प्रकरण दि० 7/11/25 को प्रा० वादिनी द्वारा Not-Press किया जा चुका है। प्रा० धनीराम पोखवाल द्वारा दि० 7/11/25 को प्रतिवादीगण की ओर से वकालत नामा पेश किया। अतः प्रा० वादिनी द्वारा Not Press किये जाने के आधार पर इजी जर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैजल कुमार बोम नम्बर 2 के क्रम में वाद-तमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)	